सरकार ने जम्मू कश्मीर डोमिसाइल रूल्स- अधिवास नियम अधिसूचित किये

सरकार ने आज जम्मू कश्मीर अधिवास प्रमाणपत्र प्रदान (प्रक्रिया) नियम 2020 / Jammu and Kashmir Grant of Domicile Certificate (Procedure) Rules, 2020 अधिसूचित किये|

यह नियम जम्मू कश्मीर का अधिवास प्रमाणपत्र यानि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़ारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं| जम्मू कश्मीर सिविल सेवा (विकेन्द्रीकरण एवं भर्ती) अधिनियम 2010 में संशोधन के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए मूलभूत योग्यता बना दिया गया है|

डोमिसाइल नियम के अनुसार वे सभी व्यक्ति और उनके बच्चे, जो जम्मू कश्मीर में 15 वर्ष से रह रहे हैं| या जिन्होंने सात साल यहाँ पढाई की हो और कक्षा 10 या 12 की परीक्षा इस केंद्रशासित प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान से दी हों, वे डोमिसाइल प्राप्त करने के लिए योग्य हैं|

जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में केंद्र सरकार, आल इन्डिया सर्विस, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वैधानिक निकाय, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं केंद्र द्वारा मान्यताप्राप्त शोध संस्थान में कुल 10 वर्ष तक कार्यरत अफसरों के बच्चे भी डोमिसाइल के लिए योग्य होंगें|

इनके अलावा, वे सभी प्रवासी और उनके बच्चे, जो "राहत एवं पुनर्वास आयुक्त" में पंजीकृत हैं, उन्हें डो मिसाइल दिया जायेगा|

जम्मू कश्मीर के उन सभी रहवासियों के बच्चों को भी डोमिसाइल दिया जायेगा जो, नौकरी, व्यापार या अन्य किन्हीं व्यावसायिक और आजीविका सम्बन्धी कारणों से इस केंद्रशासित प्रदेश से बाहर रहे थे |

यह नियम एक सरल और समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित करते हैं, जिससे किसी को भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असुविधा ना हो|

आवेदक को प्रमाणपत्र ज़ारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित है, जिसके बाद आवेदक अपील प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं|

अपील प्राधिकारी का निर्णय डोमिसाइल जारी करनेवाले प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा और अपील प्राधिकारी के आदेश का पालन सात दिन के भीतर करना होगा. ऐसा न करने पर दोषी अधिकारी को 50,000 रु दंड भरना होगा जो उसके वेतन से काटा जायेगा|

अपील प्राधिकारी को पुनः संशोधन/ पुनः अवलोकन का अधिकार रहेगा. वे , स्वयं या किए गए आवेदन के आधार पर, सभी रेकॉर्ड्स/अभिलेख मंगवा सकते हैं, पूरी प्रक्रिया की कानूनी जांच कर सकते हैं और उस सन्दर्भ में उचित आदेश दे सकते हैं|

इस नियम के प्रावधान के अनुसार डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है| डोमिसाइल प्रदान करने वाले सम्बंधित अधिकारी भी ऑन लाइन डोमिसाइल प्रमाणपत्र दे सकते हैं|

केंद्रशासित प्रदेश का डोमिसाइल प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ -

· पूर्व राज्य जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासी, जिनके पास 31.10.2019 से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा ज़ारी किया गया स्थाई निवासी प्रमाणपत्र है, उन्हें इसी पीआरसी के आधार पर डोमिसाइल मिल जाये गा, अन्य किसी भी दस्तावेज़ की उनको आवश्यकता नहीं है|
· कश्मीरी प्रवासियों को पीआरसी या प्रवासी पंजीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर डोमिसाइल दिया जाये--गा|
·इसके अलावा हो सकता है कि बोनफाइड/ प्रमाणित प्रवासी या प्रमाणित विस्थापित व्यक्ति हों जिनका राहत अधिकारी के यहाँ पंजीकरण ना हुआ हो| ऐसे व्यक्तियों के लिए राहत विभाग, सीमित सीमा के लिए विशेष प्रावधान करेगा जिसके तहत डोमिसाइल पाने के लिए वे राहत एवं पुनर्वसन आयुक्त (प्रवा सी) में आवेदन कर सकते हैं, उनको निम्नलिखित दस्तावववज़ों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा -

1)1951/1988 चुनाव सूची

2) नौकरी/ रोज़गार प्रमाण,

3) प्रॉपर्टी/ संपत्ति स्वामित्व के प्रमाण,

4) दूसरे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासी या विस्थापित पंजीकरण का प्रमाण या ऐसा कोई भी दस्ता वेज़ जिसके आधार पर सम्बंधित व्यक्ति को 06. 08 . 2019 से पहले पीआरसी के लिए योग्य माना जाता.

नए नियम एवं प्रणाली से लाभान्वित श्रेणियाँ -

a) वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी (WPRs), सफाई कर्मचारी जो 64 वर्षों से राज्य में रह रहे थे पर स्थाई नि वासी नहीं थे, जिन महिलाओं ने राज्य से बाहर विवाह किया, उनके बच्चे और पति जो राज्य में रह रहे थे, गोरखा जो राज्य में 150 वर्षों से रह रहे थे, डोमिसाइल प्रमाणपत्र के लिए योग्य हैं|

वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी संसद चुनाव सूची में थे परन्तु पूर्व राज्य के चुनाव सूची में नहीं थे. इनका 15 वर्ष राज्य में निवास या उनके बच्चों का सात साल पढ़ने और 10 /12 वाले नियम में समावेश होगा|

b) इसी प्रकार एक सामान्य प्रक्रिया डोमिसाइल के लिए योग्य अन्य सभी श्रेणियों के लिए 'जम्मू कश्मी र सिविल सेवा (विकेन्द्रीकरण एवं भर्ती) अधिनियम' के तहत डोमिसाइल प्रमाणपत्र देने के लिए परिभाषित की गयी है|

इसमें समावेश है -
डोमिसाइल नियम के अनुसार वे सभी व्यक्ति और उनके बच्चे, जो जम्मू कश्मीर में 15 वर्ष से रह रहे हैं| या जिन्होंने सात साल यहाँ पढाई की हो और कक्षा 10 या 12 की परीक्षा इस केंद्रशासित प्रदेश के शैक्ष णिक संस्थान से दी हों या उनके बच्चे, जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में केंद्र सरकार, आल इन्डिया सर्विस, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वैधानि क निकाय, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं केंद्र द्वारा मान्यताप्राप्त शोध संस्थान में 10 वर्ष तक कार्यरत अफसरों के बच्चे|

सरल और आसानी से उपलब्ध दस्तावेज़, जैसे - राशन कार्ड, संपत्ति के कागज़ात,सत्यापित शिक्षा के प्रमाणपत्र, बिजली के बिल, रोज़गार/श्रम/ मालिक द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र भी डोमिसाइल प्रमाणपत्र के लिए प्रस्तुत किया जा सकते हैं|

c) सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जिससे सरकारी रिक्त स्थान भरने का काम, पारदर्शिता से और सभी का समावेश कर जल्द से जल्द भरे जा सकें| साथ ही इस समिति को सभी रिक्त स्थानों की पहचान कर, चतुर्थ श्रेणी के स्थान को प्राथमिकता देकर तुरंत भरने का आदेश दिया गया है|

समिति साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त की जाएँ, सभी नियम सूचित किये जाएँ और भर्ती की प्रक्रिया में जो भी अवरोध हों उन्हें दूर किया जाए|

डोमिसाइल प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तेज़ है, जिसे नीचे समझाया गया है:

डोमिसाइल प्राप्त करने के लिए योग्यता एवं आवश्यक दस्ताजवेज़-

1. परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट धारी व्यक्ति

2. परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट धारी व्यक्ति के बच्चे: माता पिता का पीआरसी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ज़ारी बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र

3. कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 15 वर्ष से रह रहा हो: निम्नलिखित कोई भी दस्तावेज़- राशन कार्ड, संपत्ति रेकॉर्ड्स, शिक्षा सम्बन्धी रेकॉर्ड्स, मतदान सूची, बिजली का बिल, श्रम कार्ड, सम्बंधित विभाग के डिप्टी लेबर कमिश्नर या डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एन्ड कॉमर्स द्वारा सत्यापित रोज़गार देने वाले का प्रमाणपत्र, या जन्म प्रमाणपत्र एवं निवास का कोई भी प्रमाण जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा ज़ारी किया गया हो.

4.जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 15 वर्ष से रह रहे व्यक्ति के बच्चे जिन्होंने सात साल यहाँ पढाई की हो और कक्षा 10 या 12 की परीक्षा जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान से दी हों - सम्बंधित शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख द्वारा दिया गया शिक्षा का प्रमाणपत्र जिसे उस ज़िले के शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी /चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने सत्यापित किया हो.

5) प्रवासी/ प्रवासियों के बच्चे- प्रवासी पंजीकरण का प्रमाणपत्र, या पीआरसी या उपलब्ध जन्म प्रमाणपत्र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार, आल इन्डिया सर्विस, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वैधानिक निकाय, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं केंद्र द्वारा मान्यताप्राप्त शोध संस्थान में 10 वर्ष तक कार्यरत अफसरों के बच्चे डोमिसाइल प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते इन अधिकारीयों को सेवा प्रमाणपत्र जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट/कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा दिया गया हो, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन्म प्रमाणपत्र जारी किया गया हो|

7) वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी : इन्हे अब तक सरकारी सेवा करने का लाभ नहीं मिलता था, ये संसद की मतदान सूची में थे परन्तु पूर्व के राज्य की मतदान सूची में नहीं थे| अब इनका समावेश 15 वर्ष से रहनेवाले निवासियों में या उनके बच्चों का समावेश 7 वर्ष शिक्षा/ 10 /12 वीं वाले नियम में होगा|

8) सफाई कर्मचारी - इनको भी सरकारी नौकरियों का लाभ नहीं मिलता था. अब इनका समावेश 15 वर्ष से रहनेवाले निवासियों में या उनके बच्चों का समावेश 7 वर्ष शिक्षा/ 10 /12 वीं वाले नियम में होगा|

9) महिलाएँ- पूर्व राज्य की स्थाई निवासी महिलाएँ जिन्होंने राज्य से बाहर या बिना पीआरसी वाले व्यक्ति से विवाह किया था ऐसी महिलाएँ भी अब तक अयोग्य मानी जाती थीं: ये महिलाएँ और उनके बच्चे भी अब पीआरसी/ स्थाई निवासी के लिए योग्य होंगें|

10) जितने भी प्रवासी और विस्थापित जो अब तक शामिल नहीं किये गए थे, अब उन सबका नए नियम में समावेश होगा|

11)1840 से महाराजा की सेना में कार्यरत गोरखा भी इतने वर्षों से स्थाई निवासी नहीं माने जाते थे, अ ब सभी का नए नियम के तहत डोमिसाइल योग्यता में समावेश होगा|